

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण  
भगवती प्रसाद



बनाम

अप्रार्थीगण

सोनाराम पुत्र वक्सुराम वगै

कैस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 65/2017 T I

तारिख हुवम	हुवम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुये।
23.05.2017	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री अम्बालाल पाराशर ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा वाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थीया के पक्ष मे सुविधा का सुतलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर मौजा खेडाहीरावास के खसरा नं 110 रकबा 4-03 वीघा भूमि के वैचान/रहन/गिरवी आदि हस्तान्तरण पर अप्रार्थी संख्या 1 से 10 को अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। अप्रार्थी संख्या 11 से 13 को रिकार्ड की यथास्थिति व विवादित खसरे का पंजीयन नहीं करने हेतु पांबद किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरों को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> <b>सहायक कलक्टर</b> (एच. डी. डी.) जायल (नागौर)</p>	
26.7.17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्ता पत्रावली न्याय भाग के डार मिटिंग प्रपि होने पर भाग पेश हुई</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्मन दिनांक. 3.0.17.2...को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;"> पक्षकार/पक्षकारान के अविबक्ता</p>	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

आदेश  
अनुपा  
सहित

पेश करने के लिए अनिच्छित अवसर दिया जाता है तथा वकील अध्यापी को जवाब हेतु अनिच्छित अवसर दिया जाता है आगामी पेशी पर जवाब पेश करें। पत्रावली तलकी क जवाब हेतु दिनांक 29.6.18 को पेश हो।

29.6.18

पत्रावली पेश हुई वकील अध्यापी को अवसर देने के उपरान्त भी तलकी हेतु तलकाना पत्र नहीं किया है तथा वकील अध्यापी के द्वारा अध्यापी सं. 02 व 03 का जवाब पत्र नहीं किया। इस अध्यापी पत्र के संबंधित मूल काद का निर्णय हो चुका है इसलिए इस अध्यापी पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस अध्यापी पत्र में दिनांक 23.5.17 को जारी की गई अध्यापी निषेधाज्ञा को खारिज किया जाकर अध्यापी पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुभाहोम नम्बर से कम होकर दफ्तर हाथेल है।

उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर

उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर